11/1/21 पत्रावली प्रस्तुत। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः दिनांक 5/2/21 को पेश हो।

5/2/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी एवं वादी-प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 14.01.21 को न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी संख्या के पहचानकर्ता के तौर पर राजीनामे पर हस्ताक्षर किए।

जरिए राजीनामा पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रथम पक्षकार (वादी) का चक 24 P प.न. 18/51 (7) कि.न. 1/2, 2ता25 कुल 6.198 हे. भूमि द्वितीय पक्षकार के कब्जाकाश्त की हद तक नाम कलमजन कर द्वितीय पक्षकार के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो प्रथम पक्षकार को एतराज नहीं है एवं द्वितीय पक्षकार का नाम चक 1 PGM प.न. 264/453 (27) कि.न. 1 ता 25 कुल 6.072 हेक्टेयर भूमि में से नाम कलमजन कर प्रथम पक्षकार वाद के अनुतोष के अनुसार प्रथम पक्षकार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार को एतराज नहीं है।

हस्तगत वादपत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं रा.का. अ. के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

चक 24 P के मु.नं. 7 प.सं. 18/51 की

(अजयसिंह)
पहचानकर्ता
(गुरतेजसिंह)

संदीप कुमार
I.34
अनिल कुमार शर्मा
Adv

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.28 08:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6.198 है. भूमि वादी के नाम से एवं चक 1 PO के मु. सं. 27 प. सं. 264/453 की 6.072 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक राजीनामा पक्षकार चक 24 P के प. न. 18/51 मु.सं. 7 के किला नं. 14 ता 25 की कुल 2.986 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को देना चाहते है एवं शेष भूमि वादी के नाम से दर्ज करना चाहते है।

वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं तकसीम प्रस्तुत किया है। अत के संबंध न्यायालय के प्रेक्षण निम्नानुसार है -

(i) वादी ने कब्जाकाश्त के आधार पर घोषणा चाही है, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जे के आधार पर घोषणा (अधिकार की) किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल राजीनामे के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाना विधिसंगत नहीं है।

(ii) वादी ने तकसीम अर्थात् विभाजन का अनुतोष भी अपने वादपत्र में चाहा है, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन का वादपत्र केवल एक सहकाश्तकार किसी दूसरे/अन्य सहकाश्तकार के विरुद्ध ही ला सकता है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी अलग-अलग भूमि के खातेदार काश्तकार है, न कि किसी संयुक्त खातेदारी भूमि में सहकाश्तकार। अतः विभाजन संबंधी अनुतोष भी इस वाद में दिया जाना अपेक्षित नहीं है एवं न ही विधिपूर्ण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.28 08:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(iii) वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का उद्देश्य भूमि का हस्तान्तरण एक-पक्षकार से दूसरे पक्षकार को करना है, जिसका माध्यम केवल विक्रयपत्र, दानपत्र, उपहार पत्र अथवा हकत्यागपत्र इत्यादी ही हो सकता है। अतः राजीनामे के आधार

Scanned with CamScanner

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक

पर भूमि की हस्तान्तरण की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नही है। यदि पक्षकार भूमि का आदान-प्रदान करना चाहते है, तो सक्षम न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष चाराजोई कर सकते है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुओं के विवेचन के क्रम में न्यायालय का मत है कि राजीनामे की प्रकृति विधिविरुद्ध होने के कारण यह वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित नहीं है।

—: आदेश :—

फलतः हस्तगत वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा विधिविरुद्ध होने के कारण एवं वादपत्र में चाहा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने के कारण हस्तगत वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.28 08:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner